HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1988/2026

Rajesh S/o Shri Jeevanram, Aged About 38 Years, R/o Dhani Bhaloth, Police Station Pacheri Kalan, District Jhunjhunu, Rajasthan. (At Present In Sub Jail Khetri).

----Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shailender Singh Balwada
For Respondent(s)	:	Mr. Rishi Raj Singh Rathore, PP Mr. Omveer Singh Saini

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V.J.)

Order

09/06/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना पचेरी कलां जिला झुंझुनू में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 198/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। आहत चंद्रभान कॉमा में नहीं है, वरन् सही होने पर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। इस तथ्य को डॉ. पुनीत महापात्रा ने भी अपने बयान में बताया है। आहत का 15 दिवस बाद दिनांक 04.12.2025 को मेडिकल मुआयना हुआ, जो संदेहपूर्ण है। परिवादी पक्ष ने प्रार्थी/अभियुक्त के साथ मारपीट की। आहत को किस प्रकार के हथियार से चोट आई है, यह स्पष्ट नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः

प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने आहत चन्द्रभान के सिर पर कुल्हाड़ी से 2–3 वार किए, जिससे उसके सिर में प्राणघातक चोट आना बताया गया है। आहत चन्द्रभान बोलने की स्थिति तथा बयान देने की स्थिति में नहीं है, वह कॉमा में है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट में यह तथ्य आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने ट्रैक्टर में रखी कुल्हाड़ी से आहत चन्द्रभान के सिर पर 2–3 वार किए, जिससे चन्द्रभान के सिर पर गंभीर चोटें आईं। आहत चन्द्रभान एस.एम.एस. अस्पताल में कॉमा सेंटर में भर्ती रहा और बयान देने की स्थिति में नहीं रहा, यह तथ्य अनुसंधान के दौरान सामने आया है। आहत चन्द्रभान की चोट संख्या 1 को प्राणघातक होना चिकित्सक ने बताया है। आहत चन्द्रभान चोट के कारण से बोल नहीं पाने तथा बयान नहीं दे पाने की स्थिति में होने के कारण से धारा 180 बीएनएसएस के बयान लेखबद्ध नहीं किए जाने के तथ्य भी अनुसंधान के दौरान सामने आए हैं। आहत चन्द्रभान को प्राणघातक चोट पहुंचाने का आरोप प्रार्थी/अभियुक्त पर है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने धारा 115(2), 126(2), 117(2), 109(1), 352 बीएनएस, 2023 का अपराध प्रमाणित होना पाया है और आहत चन्द्रभान के न्यायालय में बयान लेखबद्ध होने शेष हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की सूचना पर उसके कब्जे से धारदार कुल्हाड़ा भी बरामद हुई। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पचेरी कलां थाने में वर्ष 2004 में 2 तथा वर्ष 2009 में 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तथ्य भी सामने आए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

आहत चन्द्रभान व अन्वेषण अधिकारी तथा महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राजेश पुत्र जीवनराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, अतः पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण का त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास करें।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J

KISHAN SONI/11